

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14()2016/एफसीए/प्रमुवसं./

605

दिनांक 3/4/25

विशिष्ट शासन सचिव,

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

राजस्थान सरकार,

शासन सचिवालय, जयपुर

विषय:—Diversion of 0.59 ha. of forest land for construction of
approach road to foosod mata ji in District Kota (Rajasthan)
(Proposal no. FP/RJ/ROAD/152647/2022)

संदर्भ:—श्रीमान द्वारा जारी ई.डी.एस दिनांक 16.07.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आलोच्य प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक, कोटा द्वारा
EDS का रिप्लाय प्रेषित किया गया है। (प्रति संलग्न) मुख्य वन संरक्षक, कोटा की टिप्पणी
से यह कार्यालय सहमत है। प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(के.सी.ए. अरुण प्रसाद)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय सभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Add. Near Chambal Rest House, Kishorpur Kofta- 324009 E-Mail:- cefidn.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवस/2025-26/705

दिनांक 27.01.2025

निमित्त:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

एवं नोडल अधिकारी एफसीए,

राजस्थान, जयपुर

विषय:- फूसोद माता मन्दिर रोड वन भूमि प्रत्यावर्तन FP/RJ/ROAD/152647/2022 में राज्य सरकार द्वारा जारी EDS दिनांक 01-01-2025 के प्रतिउत्तर से संबंधित।

संदर्भ:- विशिष्ट शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार का पत्रराजकाज संदर्भ 12738294 दिनांक 01-01-2025 एवं उप वन संरक्षक, कोटा का राजकाज रेफरेन्स नं० 13076837 दिनांक 18.01.2025 के कम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत फूसोद माता मन्दिर रोड वन भूमि प्रत्यावर्तन FP/RJ/ROAD/152647/2022 में राज्य सरकार द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से जारी EDS का बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र सं	आक्षेप	पालना
1	पूर्व में उक्त प्रस्ताव 0.59 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तुत किया गया था परन्तु आप द्वारा दिनांक 17.12.2024 को परिवेश 1.0 पोर्टल पर प्रस्तुत प्रत्युत्तर में संलग्न संशोधित पार्ट-1 दिनांक 17.12.2024 में 0.4425 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अभिशंसा की गयी है। अतः स्पष्ट अभिशंसा भिजवाने का श्रम करे।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधीन क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के आक्षेप दिनांक 16.07.2024 (संलग्नक-1) के क्रम में कार्यकारी अभिकरण द्वारा पूर्व में प्रस्तावित 10 मी० चौड़े रास्ते को कम करके 7.50 मी० कर दिया गया है, जिस अनुसार प्रस्तावित प्रत्यावर्तन क्षेत्रफल को पूर्व में 0.59 है० से कम करके नवीन 0.4425 है० कर दिया गया है। जिसकी स्पष्ट अभिशंसा उप वन संरक्षक, कोटा द्वारा पत्रांक 5484 दिनांक 29.10.2024 (संलग्नक-2) से कर दी गयी है।
2	प्रस्ताव के पार्ट-1 में संलग्न प्रयोक्ता अभिकरण के प्रत्युत्तर दिनांक 20.11.2024 में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 0.59 है० का उल्लेख किया गया है। अतः प्रत्यावर्तन वनभूमि में इस अंतर के संबंध में स्पष्टीकरण भिजवाने का श्रम करे।	बिन्दु संख्या 1 के प्रत्युत्तर में स्पष्ट है कि प्रस्तावित प्रत्यावर्तन क्षेत्रफल को पूर्व में 0.59 है० से कम करके नवीन 0.4425 है० करने का कारण क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के आक्षेप दिनांक 16.07.2024 (संलग्नक-1) के क्रम में कार्यकारी अभिकरण द्वारा पूर्व में प्रस्तावित 10 मी० चौड़े रास्ते की चौड़ाई को कम करके 7.50 मी० करना है।
3	उक्त प्रस्ताव के साथ संबंधित उप वन संरक्षक का अभिशंसा पत्र संलग्न नहीं है। अतः संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्तुत अभिशंसा पत्र भिजवाने का श्रम करावे।	उप वन संरक्षक, कोटा ने पत्रांक 5484 दिनांक 29.10.2024 (संलग्नक-2) द्वारा फूसोद माता मन्दिर रोड हेतु संशोधित प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.4425 है० के प्रत्यावर्तन को bare minimum एवं unavoidable मानकर स्पष्ट अभिशंसा कर दी गयी है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

भवदीय



(समकरण खैरवा)

सभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक:एफ()एफसीए/समुवसं/2025-26/706
प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, कोटा को सूचनार्थ प्रेषित है।

दिनांक: 27.01.2025



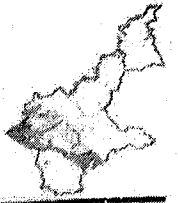
सभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा



राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा

(सिविल लाईन्स, नयापुरा कोटा ई-मेल: dc.f.kota.forest@rajasthan.gov.in)



क्रमांक:—एफ ()उवसं/तक./2025/492
निमित्त,

दिनांक: 18-01-2025

श्रीमान मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय:— फूसोद माता मन्दिर रोड वन भूमि प्रत्यावर्तन FP/RJ/ROAD/152647/2022 में राज्य सरकार द्वारा जारी EDS दिनांक 01-01-2025 के प्रतिउत्तर से संबंधित।

संदर्भ:— विशिष्ट शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार का पत्र राजकाज संदर्भ 12738294
दिनांक 01-01-2025

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत फूसोद माता मन्दिर रोड वन भूमि प्रत्यावर्तन FP/RJ/ROAD/152647/2022 में राज्य सरकार द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से जारी EDS का बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र.सं	आक्षेप	पालना
1	पूर्व में उक्त प्रस्ताव 0.59 हेक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तुत किया गया था परन्तु आप द्वारा दिनांक 17.12.2024 को परिवेश 1.0 पोर्टल पर प्रस्तुत प्रत्युत्तर में संलग्न संशोधित पार्ट-1 दिनांक 17.12.2024 में 0.4425 है० वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अभिशंसा की गयी है। अतः स्पष्ट अभिशंसा भिजवाने का श्रम करें।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधीन क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के आक्षेप दिनांक 16.07.2024 (संलग्नक-1) के क्रम में कार्यकारी अभिकरण द्वारा पूर्व में प्रस्तावित 10 मी० चौड़े रास्ते को कम करके 7.50 मी० कर दिया गया है, जिस अनुसार प्रस्तावित प्रत्यावर्तन क्षेत्रफल को पूर्व में 0.59 है० से कम करके नवीन 0.4425 है० कर दिया गया है। जिसकी स्पष्ट अभिशंसा अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा पत्रांक 5484 दिनांक 29.10.2024 (संलग्नक-2) से कर दी गयी है।
2	प्रस्ताव के पार्ट-1 में संलग्न प्रयोक्ता अभिकरण के प्रत्युत्तर दिनांक 20.11.2024 में प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र 0.59 है० का उल्लेख किया गया है। अतः प्रत्यावर्तन वनभूमि में इस अंतर के संबंध में स्पष्टीकरण भिजवाने का श्रम करें।	बिन्दु संख्या 1 के प्रत्युत्तर में स्पष्ट है कि प्रस्तावित प्रत्यावर्तन क्षेत्रफल को पूर्व में 0.59 है० से कम करके नवीन 0.4425 है० करने का कारण क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर के आक्षेप दिनांक 16.07.2024 (संलग्नक-1) के क्रम में कार्यकारी अभिकरण द्वारा पूर्व में प्रस्तावित 10 मी० चौड़े रास्ते की चौड़ाई को कम करके 7.50 मी० करना है।
3	उक्त प्रस्ताव के साथ संबंधित उप वन संरक्षक का अभिशंसा पत्र संलग्न नहीं है। अतः संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्तुत अभिशंसा पत्र भिजवाने का श्रम करावे।	अद्योहस्ताक्षरकर्ता ने पत्रांक 5484 दिनांक 29.10.2024 (संलग्नक-2) द्वारा फूसोद माता मन्दिर रोड हेतु संशोधित प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.4425 है० के प्रत्यावर्तन को bare minimum एवं unavoidable मानकर स्पष्ट अभिशंसा कर दी गयी है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

उप वन संरक्षक, कोटा

दिनांक: 18-01-2025

क्रमांक:—एफ ()उवसं/तक./2025/493

प्रतिलिपि श्रीमान, नोडल अधिकारी एवं प्र.मु.व.सं. एफ.सी.ए. अरण्य भवन, जयपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

Signature valid

उप वन संरक्षक, कोटा

Digitally signed by Apoorva Krishna

Srivastava

Designation: Deputy Conservator Of Forest

Date: 2025.01.18 16:23:54 IST

Reason: Approved

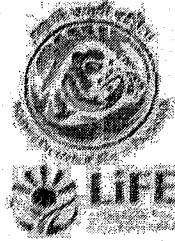




भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE
CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/ Regional Office, Gandhinagar
(Sub-Regional Office, Jaipur)



ए.वींग- 407 एवं 409, "अरण्या भवन", सी.एच.-3 सर्किल के समीप, सेक्टर-10ए, गांधीनगर-382010 / A wing- 407 &
409, "ARANYA BHAWAN", Near CH-3 Circle, Sector-10A, Gandhi Nagar-382010
Email: iro.gandhinagr-mefcc@gov.in

सेवा में,
शासन सचिव (वन),
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन,
जयपुर, राजस्थान।

दिनांक: 16th जुलाई, 2024

(ऑनलाईन क्रमांक FP/RJ/ROAD/152647/2022)

विषय: Diversion of 0.59 ha forest land for construction of approach road to Foosod Mata Ji in new connectivity scheme in Rajasthan Govt total length of project 0.626 km and road passing in forest land is 0.28 km in favour of executive engineer, Public Works Department, Division Itawa in District Kota of Rajasthan.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार की वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी गयी थी। प्रस्ताव के परिक्षणोपरांत यह पाया गया कि राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण जानकारी/ दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये हैं। अतः राज्य शासन से अनुरोध है कि निम्नलिखित आवश्यक जानकारी इस कार्यालय को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराये:

1. Map submitted by the User Agency for alternative alignment is not clear i.e. the starting point and ending point not clearly mentioned. State Govt of Rajasthan is requested to submit the clear map for alternative alignment.
2. The user agency has not justified the need for 10 mtr wide road to establish connectivity between the village and the temple.

इस संबंध में राज्य शासन से यह अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी को ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज सहित अपलोड कराये ताकि अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

(श्रवण कुमार वर्मा/Shrawan Kumar Verma)

क्षेत्रीय अधिकारी/विभागाध्यक्ष
RO/Head of Department

क्षेत्रीय कार्यालय, गांधीनगर/
Regional Office, Gandhinagar.

प्रतिलिपि: (ई-मेल द्वारा)

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, अरण्या भवन, झालाना इस्टीमेशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।
2. उप वन संरक्षक, कोटा वनमण्डल, कोटा, राजस्थान।
3. अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-इटावा, कोटा, राजस्थान।
4. आदेश पत्रावली।



राजस्थान सरकार

वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा

(सिविल लाईन्स, नयापुरा कोटा ई-मेल: defkota.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक-एफ ()उवसं/तक/ 2024 / 5484

दिनांक: 29-10-2024

निमित्त,

श्रीमान् मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :-

वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण फूसोद माता जी रोड FP/RJ/ROAD/152647/2022 में प्रस्तावित प्रत्यावर्तन क्षेत्रफल में परिवर्तन करने बाबत।

सन्दर्भ :-

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड इटावा का पत्रांक 792 दिनांक 15.10.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण फूसोद माता जी रोड FP/RJ/ROAD/152647/2022 में क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के आक्षेप दिनांक 16.07.2024 के क्रम में कार्यकारी अभिकरण द्वारा पूर्व में प्रस्तावित 10 मीटर चौड़े रस्ते को कम करके 7.50 मीटर कर दिया है, जिस अनुसार प्रस्तावित प्रत्यावर्तन क्षेत्रफल को पूर्व में 0.59 है० से कम करके नवीन 0.4425 है० करने का निवेदन किया है।

श्रीमान् कार्यकारी अभिकरण के प्रस्तावित प्रत्यावर्तन क्षेत्रफल को कम करके 0.4425 है० करने से अद्योहस्ताक्षरकर्ता सहमत है तथा उक्तानुसार परिवेश पोर्टल पर कार्यवाही करने के लिये निवेदन करते हैं।

उप वन संरक्षक, कोटा

क्रमांक-एफ ()उवसं/तक/ 2024 / 5485

दिनांक: 29-10-2024

प्रतिलिपि:- श्रीमान् नोडल अधिकारी एवं प्र.मु.व.सं. एफ.सी.ए. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु प्रेषित हैं।

उप वन संरक्षक, कोटा

Signature valid



Digitally signed by Apoorva Krishna
Srivastava
Designation : Deputy Conservator Of
Forest
Date: 2024.10.29 18:03:55 IST
Reason: Approved